न्यायालय–अमित कुमार शुक्ला, अवर न्यायाधीश (प्रथम),नरकटियागंज
स्वत्व वाद संख्या–49/2017
CIS NO-21/2019

रामनारायण प्रसाद एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

दीपक कुमार उर्फ यमुना प्रसाद एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

17.12.2020 उभय पक्ष की पैरवी है। प्रतिवादीगण की ओर से एक आवेदन दिनांक 11.12.2019 अंतर्गत आदेश 26 नियम 10ए के तहत दाखिल किया गया है, जिस संबंध में वादीगण की ओर से दिनांक 18.01.2020 को प्रत्युत्तर दाखिल किया गया है।

प्रतिवादीगण का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकार, स्वत्व की घोषणा, दखल कब्जे की पुष्टि के साथ ही विक्रय विलेख दिनांक 31.01.2017 को रद्द एवं शून्य घोषित करने हेतु लाया गया है। यह कि वादीगण का कहना है कि उनके हिस्से में मिली संपत्ति के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा कूटरचित विक्रय विलेख तैयार कर उस जमीन पर गृह निर्माण शुरू कर दिए हैं। इस संबंध में प्रतिवादीगण का कहना है कि वादीगण के किसी भी भूखंड के संबंध में उनके द्वारा कोई विक्रय विलेख खड़ा नहीं किया गया है, बल्कि स्वत्वधारी व्यक्ति से भूखंड क्रय किया गया है। यह कि वादीगण द्वारा आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 के तहत दाखिल किया गया तथा प्रतिवादीगण के विरोध के पश्चात भी वादीगण द्वारा एक अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति करा लिया गया तथा अधिवक्ता आयुक्त ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सिर्फ प्रतिवादीगण के दखल कब्जे वाली भूमि की मापी कर यह आवेदन दिया कि प्रतिवादीगण वादीगण के दखल कब्जे वाली भूमि में अतिक्रमण कर भवन का निर्माण कर रहे हैं। जिसके आधार पर वादीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा आदेश पारित हुआ। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि की सही स्थिति की मापी कराने हेतु सर्वे ज्ञात अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर पूरे विवादित भूखंड संख्या–1414, 1415, 1975 तथा 1976 का कुल भाग मापी कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण की वर्तमान दखल कब्जे वाली भूमि का प्रतिवेदन न्यायालय के समक्ष आना आवश्यक है। इस मद में होनेवाले व्यय हेतु प्रतिवादीगण तैयार है। अतः प्रस्तुत वाद में सर्वे ज्ञात अधिवक्ता आयुक्त द्वारा आवेदन में वर्णित बिंदुओं पर सर्वे ज्ञात अधिवक्ता आयुक्त से प्रतिवेदन की मांग किया जाय।

इस संबंध में वादीगण का कहना है कि प्रतिवादीगण का आवेदन विधि एवं तथ्य की दृष्टि में चलने योग्य नहीं है, बल्कि खारिज होने

न्यायालय–अमित कुमार शुक्ला, अवर न्यायाधीश (प्रथम),नरकटियागंज
स्वत्व वाद संख्या–49/2017
CIS NO-21/2019

रामनारायण प्रसाद एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

दीपक कुमार उर्फ यमुना प्रसाद एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

योग्य है तथा उन्हें आवेदन दाखिल करने का कोई अधिकार नहीं है। यह कि विगत 2 वर्षों से प्रतिवादीगण द्वारा अलग–अलग आवेदन देकर मुकदमे को आगे बढ़ने से रोके हुए हैं तथा वर्ष 2017 में ही प्रतिवादीगण द्वारा अपना जवाब दिया जा चुका है, बावजूद सुनवाई शुरू नहीं हो सकी है। यह कि निषेधाज्ञा आवेदन पर सुनवाई के पश्चात उभय पक्षों को वादग्रस्त भूमि पर यथा स्थिति बनाये रखने का आदेश हुआ था तथा उक्त आदेश अपीलीय न्यायालय द्वारा बरकरार रहा। यह कि सुनवाई के दौरान सुलह समझौते की बात प्रतिवादीगण द्वारा की गई, लेकिन इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह कि उभय पक्षों के अभिकथनों से स्पष्ट होगा कि प्रस्तुत वाद में खेसरा 1414 तथा 1415 की भूमि ही विवादित भूमि है तथा खेसरा 1975 या 1976 पर कोई विवाद नहीं है तथा इस भूमि को भी आवेदन में शामिल किया गया है। यह कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण द्वारा कोई प्रतिदावा भी नहीं किया गया है, इसलिए वादग्रस्त खेसरा के अलावा अन्य भूमि को प्रस्तुत वाद में शामिल नहीं किया जा सकता है। यह कि उभय पक्ष स्वीकार करते हैं कि खेसरा नं0–1414 व 1415 का बंटवारा हुआ है, लेकिन मैनर ऑफ पार्टिसन को लेकर मतभेद है क्योंकि प्रतिवादी संख्या–1 ता 3 द्वारा जो बंटवारे का तरीका बताया गया है वह उनके प्रश्नगत बयनामा से मेल नहीं खाता है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा दाखिल आवेदन खारिज होने योग्य है।

अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकार, स्वत्व की घोषणा तथा दखल कब्जे की पुष्टि के साथ ही विक्रय विलेख दिनांक 31.01.2017 को रद्द करने हेतु लाया गया है। प्रतिवादीगण का कहना है कि वादीगण का यह कहना कि प्रतिवादीगण उनके दखल कब्जे वाली भूमि का अतिक्रमण कर भवन का निर्माण कर रहे हैं, जिसके आधार पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा आदेश पारित हुआ था। चूँकि प्रस्तुत वाद में अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित किया गया है तथा उभय पक्षों को निर्देश दिया गया है कि वह वादग्रस्त भूमि पर यथा स्थिति बनाये रखें। प्रतिवादीगण के आवेदन

न्यायालय–अमित कुमार शुक्ला, अवर न्यायाधीश (प्रथम),नरकटियागंज

स्वत्व वाद संख्या–49/2017

CIS NO-21/2019

रामनारायण प्रसाद एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

दीपक कुमार उर्फ यमुना प्रसाद एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

के आलोक में न्यायालय का मत है कि केवल वादग्रस्त खेसरा 1414 व 1415 का मापी प्रतिवेदन सर्वे ज्ञात अधिवक्ता आयुक्त से कराया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए केवल वादग्रस्त खेसरा 1414 व 1415 में शामिल भूमि के संबंध में प्रतिवेदन की मांग किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार सर्वे ज्ञात अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह संबंध में श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प0 चंपारण, बेतिया को अनुरोध पत्र जारी करें। उभय पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वे वाद के त्वरित निष्पादन हेतु न्यायालय को अपेक्षित सहयोग करें। वास्ते अग्रिम कार्रवाई दिनांक 18.12.2020

अवर न्यायाधीश(प्रथम)